चुनाव
अति. आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 6(93)2014 / कार्मिक / प्रमुवसं / 8371 दिनांक 13-1-2020

निमित्त,

महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून– व्यवस्था
राजस्थान जयपुर।

विषय : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 ड्यूटी हेतु जाप्ता भिजवाने बावत।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक एफ 6 ( ) 2018 / कार्मिक / प्रमुवसं / 8032–35 दिनांक 01.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है आपके पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 10.12.2019 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 में ड्यूटी हेतु वनरक्षक उपलब्ध कराने हेतु जिलेवार सूची चाही गई थी। जिसके क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा वन्यजीव प्रभाग में कार्यरत वनरक्षकों को भी शामिल करते हुये सहवन से 1600 वनरक्षकों की जिलेवार सूची भिजवाई थी। वन्यजीव क्षेत्रों में अवैध शिकार एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु पहले से ही स्टाफ की अत्यधिक कमी है। भारत सरकार चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437–6 / 98– पी.एल.एल.–III दिनांक 30.01.1998 द्वारा वन्यजीव सेन्चुरी, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय गेम पार्कस्, वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ परियोजना क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा की प्राथमिकता के मध्य नजर रखते हुए चुनाव ड्यूटी से वाहन एवं फील्ड स्टॉफ को मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

आपके पत्रांक 307 दिनांक 31.12.2019 द्वारा 1000 वनरक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने हेतु अवगत कराया गया है। निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 8 (1)(3)निर्वा. / 2009 / 4101 दिनांक 04.08.2018 द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टॉफ (Territroial Staff) को चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित नहीं किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। विभाग में वर्तमान में कुल 4467 स्वीकृत वनरक्षक के पदों के विरुद्ध कुल 2509 वर्तमान में कार्यरत है एवं शेष पद 1958 रिक्त चल रहे है। जो कि विभाग में लगभग 45 प्रतिशत पद रिक्त होने से ऐसी स्थिति में चुनावी माहौल के कारण विभिन्न वन क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कटान एवं अवैध खनन की घटनाऐं नित्यप्रति बढ़ने की संभावना बनी रहती है। वनरक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने पर वनों के संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थित में वनरक्षकों को चुनाव ड्यूटी हेतु भिजवाया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। कृपया वन विभाग को इस चुनाव ड्यूटी से मुक्त करावें तथा जाप्ते की व्यवस्था अन्य स्त्रोतो से कराकर चुनाव कार्य को संपादित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उक्तानुसार

भवदीय,

(जी.वी.रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 6(93)2014 / कार्मिक / प्रमुवसं / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण।
3. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वैब साईट पर अपलोड करें।

(एच.के.सारस्वत)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

DCF NZ Com. letter jan 2019 2003 13 jan 2020